रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032024-252680
CG-DL-E-06032024-252680

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1061] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2024/फाल्गुन 16, 1945
No. 1061] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2024/PHALGUNA 16, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

सं. 66/2023

विषयः आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 2 के तहत बतख के मांस के लिए आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 1118(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित और विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित और धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 2 के आईटीसी (एचएस) कोड 02074200 और 02074500 के तहत निम्नलिखित मदों की आयात नीतिगत शर्त में निम्नानुसार संशोधन करती हैः

एक्जिम कोड	मद विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
02074200	–बतखों का : –– टुकड़ों में कटा हुआ नहीं, प्रशीतित	मुक्त	–	डीएएचडी का.ज्ञा. सं. एल–110109(3)/1/2016 व्यापार (ई–2625) दिनांक 22.02.2024 के अनुसार

				और राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 13/2024–सीमाशुल्क दिनांक 06.03.2024 के तहत होटल और रेस्तरां को आपूर्ति के लिए प्रीमियम बतख मांस का आयात 'प्रतिबंधित' होगा। दिए गए आईटीसी (एचएस) कोड के तहत अन्य आयात 'मुक्त' होंगे।
02074500	–बतखों का : –– अन्य, प्रशीतित	मुक्त	–	डीएएचडी का.ज्ञा. सं. एल–110109(3)/1/2016 व्यापार (ई–2625) दिनांक 22.02.2024 के अनुसार और राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 13/2024–सीमाशुल्क दिनांक 06.03.2024 के तहत होटल और रेस्तरां को आपूर्ति के लिए प्रीमियम बतख मांस का आयात 'प्रतिबंधित' होगा। दिए गए आईटीसी (एचएस) कोड के तहत अन्य आयात 'मुक्त' होंगे।

अधिसूचना का प्रभावः डीएएचडी का.ज्ञा. सं. एल–110109(3)/1/2016 व्यापार (ई–2625) दिनांक 22.02.2024 के अनुसार और राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 13/2024–सीमाशुल्क दिनांक 06.03.2024 के तहत होटल और रेस्तरा को आपूर्ति के लिए प्रीमियम बतख मांस का आयात 'प्रतिबंधित' होगा। दिए गए आईटीसी (एचएस) कोड के तहत अन्य आयात 'मुक्त' होंगे।

इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/200/एएम–02/पीसी–2(क)/भाग–I/ई–31445]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार, और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2024

No. 66/2023

Subject: Amendment in import policy condition for Duck Meat Chapter 2 of ITC (HS) 2022, Schedule–I (Import Policy)

S.O. 1118(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, and read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby revises the import policy condition of the following items under ITC(HS) Code 02074200 and 02074500 of Chapter 2 of ITC (HS) 2022, Schedule–I(Import Policy), as under:

Exim Code	Item Description	Import Policy	Existing Policy condition	Revised Policy condition
02074200	-Of ducks : -- Not cut in pieces, frozen	Free	-	Import of Premium Duck Meat as per DAHD OM No. L-110109(3)/1/2016-Trade (E-2625) dated 22.02.2024 and under Department of Revenue Notification No. 13/2024-Customs dated

				06.03.2024 for supply to Hotels and Restaurants shall be 'Restricted'. Other Imports under given ITC(HS) code shall be 'Free'.
02074500	-Of ducks : --Other, frozen	Free	-	Import of Premium Duck Meat as per DAHD OM No. L-110109(3)/1/2016-Trade (E-2625) dated 22.02.2024 and under Department of Revenue Notification No. 13/2024-Customs dated 06.03.2024 for supply to Hotels and Restaurants shall be 'Restricted'. Other Imports under given ITC(HS) code shall be 'Free'.

Effect of the Notification: Import of Premium Duck Meat as per DAHD OM No. L-110109(3)/1/2016-Trade (E-2625) dated 22.02.2024 and under Department of Revenue Notification No. 13/2024-Customs dated 06.03.2024 for supply to Hotels and Restaurants shall be 'Restricted'. Other Imports under ITC(HS) codes 02074200 and 02074500 shall be 'Free'.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/200/AM-02/PC-2(A)/Part-I. /E-31445]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.03.06 22:47:11 +05'30'